



AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR

JODHPUR 342304, Rajasthan, India

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

जोधपुर 342304 राजस्थान, भारत

Tele fax : 0291-2570711(O) E-mail: comptrollerfin@gmail.com



ई-निविदा 04 / 2025-26

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा कृषि महाविद्यालय, सुमेरपुर तथा कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, सुमेरपुर में श्रमिकों की आपूर्ति करने हेतु ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी विस्तृत विवरण एवं जानकारी www.sppp.rajasthan.gov.in एवं <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।

UBN NO: JAU2526SLRC00071

Eproc ID: 2025_AGUJD_492103_1

नियंत्रक (वित्त)

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय वित्त नियंत्रक
कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर
मण्डोर रेल्वे स्टेशन के सामने, जोधपुर-342304 राजस्थान
फोन नं. 0291-2570711 / ई-मेल comptrollerfin@gmail.com

क्रमांक:-F.3 (J)Proc/AU/Jodh/2025-26/ 269

Date - 01/08/25

ई-बोली सूचना संख्या 04 / 2025-2026

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित उपापन हेतु निर्धारित प्रपत्र में इच्छुक बोलीदाताओं/ प्रतिष्ठित अनुभवी एवं अधिकृत कम्पनियों/फर्मों ई-उपापन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नानुसार बोलियां आमंत्रित की जाती है।

क्र सं	उपापन की जाने वाली विषय वस्तु का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि (रु.)	बोली दस्तावेज शुल्क (अप्रतिदेय) रूपयों में	बोली प्रक्रिया शुल्क (अप्रतिदेय) रूपयों में	बोली डाउनलोड प्रारम्भ व प्रस्तुति की दिनांक व समय	बोली प्रस्तुत करने एवं कॉलम सं. 4, 5, 6, में अंकित दस्तावेज शुल्क जमा करने की अन्तिम दिनांक व समय	तकनीकी बोली खोलने की दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hiring services of High skilled / Skilled/Semi skilled/unskilled labour on minimum wages for College of Agriculture, Sumerpur & Agriculture Research Sub-Station, Sumerpur	40 लाख	बोली प्रतिभूति 2 % = 80000 (RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार)	590	500	01.08.2025 04.00 PM से	12.08.2025 03.00 PM तक	12.08.205 04.00 PM

आवश्यक शर्तें एवं निर्देश:-

- बोली आनलाईन प्रस्तुत करने तथा कॉलम संख्या 4,5,6 में वर्णित दस्तावेज व शुल्क भौतिक रूप से जमा करने की अन्तिम दिनांक व समय कॉलम संख्या 08 के अनुसार रहेगी।
- विभिन्न बोलियों के संबंध में विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण कार्यालय समय में कार्यालय तथा उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। बोली www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर www.eproc.rajasthan.gov.in प्रस्तुत की जा सकती है।
- ऑनलाईन बोली प्रक्रिया में वे ही संवेदक भाग ले सकेंगे जिनके पास Digital Signature Certificate होने के साथ ही उक्त वेबसाइट पर पंजीकृत होंगे।
- किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा शुद्धिकरण की नवीनतम जानकारी हेतु बोली डाउनलोड करने वाले बोलीदाता नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहे।
- कार्यादेश में वर्णित संस्थाओं में आपूर्ति कार्यादेश में वर्णित अवधि/दिवस में करनी होगी अन्यथा नियमानुसार एल.डी. चार्ज की कटौती की जायेगी।
- निर्धारित तिथियों को राजकीय अवकाश होने पर बोली उसके अगले कार्यदिवस को उक्त निर्धारित समय पर खोली जायेगी।



7. राज्य में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 प्रभावशील है। अतः बोली पर उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होंगे।
8. किसी भी बोली को पूर्ण/आंशिक रूप स्वीकार करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने के समस्त अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेंगे। जिसके संबंध में फर्म से किसी प्रकार के प्राप्त पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. बोली में दर्शाये श्रमिकों की संख्या घटाई/बढ़ाई जाने के समस्त अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेंगे। जिसके संबंध में फर्म से किसी प्रकार के प्राप्त पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. बोली के साथ दिये जाने वाले समस्त दस्तावेजों पूर्ण रूप से भरे जायेगे।
11. बोली के साथ दिये जाने वाले दस्तावेजों के अनुसार पूर्ण भरे हुये एवं आवश्यकता अनुसार समस्त दस्तावेज सलग्न करें अन्यथा बोली खोलने के संबंध में विभाग द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
12. अगर आपको कार्यादेश जारी किया जाता है तो कार्यादेश में वर्णित आपूर्ति अवधि में श्रमिकों की आपूर्ति करावें। अगर किन्ही परिस्थितियों के दृष्टिगत आप समयावधि में आपूर्ति नहीं कर सकते हैं तो आपूर्ति अवधि समाप्त होने से पहले विभाग को लिखित में सूचित करेंगे अन्यथा संस्था द्वारा आपूर्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपूर्ति अवधि बढ़ाने के पश्चात् ही श्रमिकों की आपूर्ति करावें।
13. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।
14. समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र जोधपुर (राजस्थान) रहेगा।



वित्त नियंत्रक,
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर